



टी बोर्ड भारत Tea Board India
14, बी.टी.एम सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता 700001
14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001
www.teaboard.gov.in

ई-मेल: teaboardfin@gmail.com

टेल: 033 2234 2919

संदर्भ स: टीबी/वित्त/वि.स/आदेश व परिपत्र

दिनांकित: 1 सितम्बर, 2021

परिपत्र

विषय: लागत में कटौती और व्यय के युक्तिकरण पर किए जाने वाले उपाय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने परिपत्र संख्या: सी-13011/04/2020-विग दिनांक 01-09-2021 के माध्यम से परिचालित किया है कि पीएमओ, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री (सीआईएम) के माध्यम से प्राप्त एक सामान्य शिकायत का निपटान करते हुए, निर्देश दिया है कि लागत में कटौती और व्यय के युक्तिकरण पर व्यय विभाग (डीओई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। डीओई ने अनावश्यक खर्चों को प्रतिबंधित करने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं। सरकार की परिचालन दक्षता को सीमित किए बिना खर्च को युक्तिसंगत बनाने और उपलब्ध संसाधनों को अनुकूलित करने के लिए, संयमित उपायों द्वारा वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने का इरादा है। इस तरह के उपाय आम तौर पर वाहनों की खरीद, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा आदि शीर्षों की ओर निर्देशित होते हैं।

माननीय सीआईएम द्वारा मामले की जांच करते समय, यह देखा गया कि उपहारों की खरीद, वाहनों को किराए पर लेने, कर्मचारियों आदि के संबंध में कठोर उपायों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह के खर्च पर शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं है।

यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान आकर्षित किया जाता है कि आर्थिक उपायों और व्यय के युक्तिकरण से संबंधित निर्धारित दिशानिर्देशों/अनुदेशों का पालन किया जाए ताकि किए गए अनावश्यक/अनुचित व्यय पर शिकायतों की कोई गुंजाइश ना हो पाए।

(वि. स. एवं मु.ले.अ.)

वितरण:-

1. बोर्ड के मुख्यालय कोलकाता में सभी अधिकारीगण (उपाध्यक्ष व सचिव को छोड़कर)	इस कार्यालय आदेश को संबंधित कर्मचारियों तक अवगत कराने के अनुरोध सहित
2. कार्यपालक निदेशक, कून्नूर व गुवाहाटी	
3. डीडीटीडी, सिलिगुड़ी, पालमपूर एवं वि.अ. (उ.प.भा), नई दिल्ली	इस कार्यालय आदेश को संबंधित कर्मचारियों तक अवगत कराने के अनुरोध सहित
4. कोलकाता के सभी शाखा/विभाग	
5. उपाध्यक्ष टी बोर्ड के नि.सहायक	
6. आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड हेतु
7. टीबीईए	
8. स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियाँ सहित